 आर.सी.टी. प्रकरण कमांक 858/2021

आरक्षी केन्द्र महिला थाना बनाम मो. इफ्तेखार आदि

न्यायालयः—मीनाक्षी शर्मा जोशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला इंदौर म.प्र.

(निर्णय तारीख 26.09.2022)

---

1. Registration No.	**RCT No. 858/2021**
2. Filing No.	**RCT No. 5054/2021**
3. CNR No.	**MP 0901/006970/2021**
4. Filing Date	**10/02/2021**

आरक्षी केन्द्र महिला थाना तह व जिला इंदौर म.प्र. के अपराध कमांक 910/2020 अपराध अंतर्गत धारा 498 भादंसं एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम से उद्भूत प्रकरण।

म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र महिला थाना
जिला इंदौर म.प्र. .....**अभियोगी**

प्रतिनिधित्व द्वारा श्री शिवभान सिंह ए.डी.पी.ओ.

विरुद्ध

1. मो. इफ्तेखार खान पिता कलीम उल्लाह, उम्र—43 वर्ष,
2. शगुफ्ता नसरीन पति कौसर हसन, उम्र—41 वर्ष,
3. परवीन पति कलीम उल्लाह खान, उम्र—73 वर्ष,

सभी निवासीगणः— कल्लू बुआ की मस्जिद के आगे, स्टार डेरी वाली गली कमला पार्क, भोपाल

.....**अभियुक्तगण**

प्रतिनिधित्व द्वारा श्रीमती मेहरूनिशा खान अधिवक्ता

अपराध की तारीख	01.10.2019 से 01.10.2020
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तारीख	01.10.2020
आरोप पत्र की तारीख	17.01.2021
आरोपों के विरचना की तारीख	03.12.2021
साक्ष्य प्रारंभ किए जाने की तारीख	03.12.2021
निर्णय सुरक्षित किए जाने की तारीख	26.09.2022
निर्णय की तारीख	26.09.2022
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तारीख	दोषमुक्त

अभियुक्तगण का विवरण

श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किए जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दण्डादेश	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 दप्रसं के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई

							निरोध की अवधि
1.	मो. इफ्तेखार	धारा 41 दंप्रसं के नोटिस पर	10.02. 2021	498ए, भादंसं एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम	दोषमुक्ति		
2.	शगुफ्ता						
3	परवीन						

अभियोजन साक्षियों की सूची

श्रेणी	साक्षियों का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
1.	ताजवर रहमान	अभियोक्त्री

अभियोजन प्रदर्शों की सूची

सं.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रदर्श पी–1/अ.सा. 1	प्रथम सूचना रिपोर्ट
2.	प्रदर्श पी–2/अ.सा. 1	जप्ती पत्रक
3.	प्रदर्श पी–3/अ.सा. 1	पुलिस कथन अभियोक्त्री

1/– अभियुक्तगण के विरूद्ध भा.द.सं. की धारा 498ए एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 01.10. 2019 से दिनांक 01.10.2020 के दरमियान स्थान–कल्लू बुआ मस्जिद के आगे स्टार, डेरी वाली गली कमला पार्क भोपाल में अभियोक्त्री ताजवर रहमान के पति या पति के नातेदार होते हुए, अभियोक्त्री से दहेज में कार व नगदी रूपयों की मांग कर अभियोक्त्री को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित कर क्रूरता कारित की एवं अभियोक्त्री से दहेज में कार व नगदी रूपए की अवैध रूप से मांग की।

2/– अभियोजन मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, अभियोक्त्री का विवाह दिनांक 27.07.2019 को सामाजिक रीतिरिवाज से मो. इफ्तेखार के साथ हुई थी। शादी के बाद अभियोक्त्री उसके ससुराल में रहने चली गई। शादी के कुछ दिन तक अभियुक्तगण ने उसे अच्छे से रखा इसके बाद अभियुक्तगण कहने लगे कि उसके मां–बाप ने दहेज में दिया ही क्या है तो अभियोक्त्री ने कहा कि उसके माता–पिता ने उनकी हैसियत के अनुसार घर गृहस्थी का सामान दिया है इसी बात

को लेकर अभियुक्तगण उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित करने लगे। अक्टूबर 2019 में उसके पति ने अभियोक्त्री को मायके खजराना इंदौर छोड दिया। अभियोक्त्री ने ससुराल जाने की कोशिश की तो अभियुक्तगण ने कहा कि दहेज में कार व नगदी रूपए लेकर आ तभी वह उसे रखेंगे नहीं तो नहीं रखेंगे तब से अभियोक्त्री उसके मायके में ही रह रही है। उक्त घटना के संबंध में अभियोक्त्री ने खजराना थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी जो अपराध कमांक 910/2020 धारा 498ए भा.द.सं. एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अपराध के तहत लेखबद्ध हुई। अनुसंधान के दौरान अभियोक्त्री से शादी के दो फोटो एक निकाहनामा, शादी की पत्रिका तथा दहेज के सामान की सूची साक्षीगण के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया तथा अभियोक्त्री एवं अन्य साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। शेष समस्त अनुसंधान उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध 498ए भा.द.सं एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत यह अभियेाग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

3/— आरोप पत्र के अनुसार धारा 498ए भा.द.सं एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अपराध के आरोप पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया है। अभियुक्तगण को धारा 313 द.प्र.सं. के तहत अभियुक्त परीक्षण लिए गए जिसमें उन्होंने निर्दोष होना व कोई कृत्य नहीं किया जाना व्यक्त किया तथा अभियुक्तगण ने अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

4/— प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उद्भूत होते हैं—

1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 01.10.2019 से दिनांक 01.10.2020 के दरमियान स्थान—कल्लू बुआ मस्जिद के आगे स्टार, डेरी वाली गली कमला पार्क भोपाल में अभियोक्त्री ताजवर रहमान के पति या पति के नातेदार होते हुए, अभियोक्त्री से दहेज में कार व नगदी रूपयों की मांग कर अभियोक्त्री को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित कर क्रूरता कारित की ?

2. क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियोक्त्री से दहेज में कार व नगदी रूपए की अवैध रूप से मांग की ?

विचारणीय प्रश्न कमांक 1 व 2 पर विवेचना एवं सकारण निष्कर्ष–

5/– इस संबंध में अभियोक्त्री ताजवर रहमान अ.सा. 1 ने अपने न्यायालयीन कथन में व्यक्त किया कि अभियुक्त मोहम्मद इफ्तेखार उसके पति, शगुफ्ता उसकी ननद एवं परवीन उसकी सास है। उसका विवाह दिनांक 27.07. 2019 को अभियुक्त मोहम्मद इफ्तखार से सामाजिक रीतिरिवाज से हुआ था। शादी के बाद से ही अभियुक्तगण से उसका घरेलू कामकाज को लेकर मामूली वाद विवाद होता रहता था। जिसके संबंध में अभियोक्त्री ने अभियुक्तगण के विरूद्ध खजराना थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी जो प्रदर्श पी–1 है। उसके द्वारा पेश करने पर पुलिस ने शादी के दो फोटो, एक निकाहनामा, शादी की पत्रिका तथा दहेज के सामान की सूची साक्षीगण के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–2 का बनाया था। शादी के फोटोग्राफ आर्टिकल ए–1 एवं ए–2 है, शादी की पत्रिका आर्टिकल ए–3 एवं निकाहनामा आर्टिकल ए–4 तथा दहेज के सामान की सूची आर्टिकल ए–5 है। पुलिस ने घटना के संबंध में उससे पूछताछ की थी। इस साक्षी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–1, जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–2, शादी के फोटोग्राफ आर्टिकल ए–1 एवं ए–2 है, शादी की पत्रिका आर्टिकल ए–3 एवं निकाहनामा आर्टिकल ए–4 तथा दहेज के सामान की सूची आर्टिकल ए–5 पर उसके हस्ताक्षर सम्यक रूप से प्रमाणित किए गए है।

6/– अभियोक्त्री से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर अभियोक्त्री ने इस बात से इंकार किया कि अभियोक्त्री के पति इफ्तेखार तथा उसकी ननद कहती थी कि इतना दहेज तो चपरासी भी देते हैं। इस साक्षी ने अभियोजन द्वारा दिए गए इस सुझाव को भी अस्वीकार किया है कि अभियुक्तगण बोलते थे कि अब वह कार, फ्लैट व सेरवानी के पैसे पचास हजार रूपए और बारात लाने में खर्चा हुए उसके पैतांलिस हजार रूपए भी वह उसके घर से लेकर आए। इस साक्षी ने अभियोजन द्वारा दिए गए इस सुझाव को भी अस्वीकार किया है कि शादी के बाद

अभियुक्तगण बोलते थे कि अभियोक्त्री के घरवालों ने दहेज में कुछ नहीं दिया है। इस साक्षी ने अभियोजन द्वारा दिए गए इस सुझाव को भी अस्वीकार किया है कि अभियुक्तगण दहेज की मांग को लेकर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित करते थे। इस साक्षी ने अभियोजन द्वारा दिए गए इस सुझाव को भी अस्वीकार किया है कि अभियुक्तगण उससे बोलते थे कि वह उसके माता–पिता के यहां से कार व नगदी रूपए लेकर आए तभी वह उसे रखेंगे। अतः अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी इस साक्षी ने अभियोजन कहानी का समर्थन करने वाली कोई बात नहीं कही है।

7/– अभियोक्त्री अ.सा. 1 द्वारा अभियोजन कथा का समर्थन न करने एवं अभियोक्त्री एवं अभियुक्तगण के मध्य समझौता हो जाने के कारण अभियोजन की ओर से शेष साक्षियों को साक्ष्य हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8/– परीक्षण के दौरान अभियोक्त्री के कथनों में ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं हुआ है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि अभियुक्तगण ने कभी भी अभियोक्त्री से दहेज में कार व नगदी रूपयों की मांग कर अभियोक्त्री को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित कर क्रूरता कारित की एवं अभियोक्त्री से दहेज में कार व नगदी रूपए की अवैध रूप से मांग की।

:–अंतिम आदेश :–

9/– प्रकरण में अभियोजन की ओर से, जो संपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, उसके अनुसार, ऐसी कोई प्रत्यक्ष, परोक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है जिससे अभियुक्त के विरूद्ध अधिरोपित अपराध प्रमाणित होता हो। अतः उपरोक्त विचारणीय बिन्दुओं के संबंध में अभियोजन की ओर से जो संपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत की गई है उसके आधार पर अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 01.10.2019 से दिनांक 01.10.2020 के दरमियान स्थान–कल्लू बुआ मस्जिद के आगे स्टार, डेरी वाली गली कमला पार्क भोपाल में अभियोक्त्री ताजवर रहमान के पति या पति के नातेदार होते हुए,

अभियोक्त्री से दहेज में कार व नगदी रूपयों की मांग कर अभियोक्त्री को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित कर क्रूरता कारित की एवं अभियोक्त्री से दहेज में कार व नगदी रूपए की अवैध रूप से मांग की, परिणामस्वरूप अभियुक्तगण 1. मो. इफ्तेखार खान पिता कलीम उल्लाह, उम्र–43 वर्ष, 2. शगुफ्ता नसरीन पति कौसर हसन, उम्र–41 वर्ष, 3. परवीन पति कलीम उल्लाह खान, उम्र–73 वर्ष, सभी निवासीगण–कल्लू बुआ की मस्जिद के आगे, स्टार डेरी वाली गली कमला पार्क, भोपाल को भा.द.सं. की धारा 498ए एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10/– अभियुक्तगण के द्वारा पूर्व में दी गई जमानत को ही धारा 437–ए के तहत आगामी छः माह के लिए बढ़ाया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को तलब किए जाने पर वह स्वयं को न्यायालय के समक्ष उपस्थित रखेंगे।

11/– प्रकरण में अभियुक्तगण के संबंध में धारा 428 दप्रसं संबंधी प्रमाणपत्र बनाए जाए।

12/– प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति शादी के दो फोटो एक निकाहनामा, शादी की पत्रिका तथा दहेज के सामान की सूची अभिलेख का भाग होने से, निराकरण नियमानुसार किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जाये।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(मीनाक्षी शर्मा जोशी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
इंदौर (म0प्र0)

मेरे बोलने पर टंकित किया।

(मीनाक्षी शर्मा जोशी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
इंदौर (म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय / विधिक उपयोग हेतु)